(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 425—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—12—2014 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 297/अ—6/2010—11.

.....

1— कुसुमवती उर्फ कुसुमकली पुत्री स्व0 श्री गुरू नंदिनी प्रसाद
पत्नी राधिकादत्त पाण्डे हाल पता विन्ध्य विहार कालोनी रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा

2— श्रीमती सावित्री पुत्री स्व0 श्री गुरू नंदिनी प्रसाद
पत्नी प्रदीप कुमार द्विवेदी

3— राहुल द्विवेदी

4— अंकित द्विवेदी पुत्रगण श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी
निवासीगण ग्राम पडरिया तहसील रायपुर कर्चु0
जिला रीवा म0प्र0

5— श्रीमती विद्यावती उर्फ बुटटी पुत्री राधिका प्रसाद
पत्नी विद्याशंकर प्रसाद हाल निवासी ग्राम उमरी
तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

6— छोटे उर्फ महाबीर तनय वशिष्ठराम निवासी ग्राम
अमवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— शशिकलाधर अग्निहोत्री

2— नीलकंठ अग्निहोत्री पुत्रगण श्री गुरू नंदिनी प्रसाद

3— श्रीमती कांशी बाई पत्नी स्व0 श्री गुरू नंदिनी प्रसाद
तीनो निवासी ग्राम निवासी ग्राम
अमवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

——अनावेदक

.....

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विजय कुमार मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-07-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 जा0 दी0 व धारा 65 साक्ष्य अधीनियम के आवेदन को स्वीकार करने तथा अनावेदक के द्वारा कथित फर्जी वसीयतनामा की फोटोप्रति को द्वितायक साक्ष्य में ग्राह्य मानने में एक महान कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 11 नियम 14 जा0 दी0 व धारा 65 साक्ष्य अधीनियम के आवेदन स्वीकार किया जिससे परिवेदित होकर अपर कलेक्टर न्यायालय में कुसुमवती द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 24.12.14 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 ता 3 की तरफ से नामांतरण बावत आवेदन पेश किया गया था जिसमें अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की प्रार्थना की गयी थी तदनुसार न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.10 को ऐसा आदेशित किया गया कि मूल वसीयतनांमा प्रस्तुत करें। मूल वसीयतनामा प्रस्तुत न किये जाने के कारण निगरानीकर्ता की तरफ से छाया प्रति प्रस्तुत को अग्राह्य करने की आपत्ति की गई थी तदनुसार अनावेदक कमांक 1 ता 3 की तरफ से इस आशय का आवेदन धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का दिया गया कि मूल वसीयतनामा का दिया गया कि मूल वसीयत उपलब्ध नहीं है इसलिये फोटो कॉपी स्वीकार की जाय। इस संबंध में तहसीलदार ने जो आदेश छाया प्रति को द्वितीयक साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिये दिया गया जिस आवेदन को कोई उचित कारण दिये बिना स्वीकार किये जाने में भूल की गई थी। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के इस आशय की कोई भी साक्ष्य तहसील न्यायालय में पेश नहीं की गई कि कथित वसीयत नामा का किस तारीख को कहां खो गया उपरोक्त विवरण के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं था। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक

की निगरानी स्वीकार का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता ने लेखी बहस प्रस्तुत लेख किया गया है कि आवेदकगण ने अपने निगरानी में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया है कि द्वितीयक साक्ष्य की परमीसन देने के पूर्व वैधानिक कार्यवाही होने के बाद ही द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में गैरनिगरानीकर्तागण ने वैधानिक प्रकिया आदेश 11 नियम 14 व्य0 प्र0 स0 के रूप में किया था, इसके बाद मूल वसीयतनामा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न करने पर फोटो कापी को द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देकर प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य बावत नियत किया जो वैधानिक आदेश था। किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अवैधानिक रूप से निगरानी की थी। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह बिन्दु उठाया है कि मूल वसीयतनामा की फोटो कॉपी किस आधार पर अनावदकगणों को मिल गई इस संबंध में लेखी बहस में स्पष्ट लेख किया गया है कि आवेदन में ही पूर्व में लेख किया था कि गुरू नन्दनी प्रसाद ने वसीयतनामा के लेखक कृष्ण कुमार शुक्ला से वसीयतनामा की फोटो कापी भिजवाया था जो स्पष्ट है परंतु निगरानीकर्तागण ने सारहीन व मिथ्या निगरानी प्रस्तुत कर समय को नष्ट किया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन है इसे निरस्त किया जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हे उसके साथ वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत की है। तथा मूल वसीयतनामा उपलब्ध नहीं होने के कारण द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने बावत आदेश 11 नियम 14 का आवेदन पत्र एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65 उल्लेखित है कि यदि आवेदक के पास मूल दस्तावेज उपलब्ध न हो तो दस्तावेजों की फोटो कॉपी द्वितीयक साक्ष्य में ग्राह्य है साक्ष्य का भार आवेदक का है कि वह उसे सिद्व करे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 11 नियम 14 का आवेदन पत्र एवं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–65 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.14 में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें, जिससे उभयपक्ष को न्यायदान मिल सके।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर